कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया

पत्रांक– 572 / 22-10 दिनांक, बलिया, अगस्त, 16 - , 2023

सेवा में,

एस0पी0पाठक,
परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, पी0आई0यू0,
20 / 104, प्रथम तल हरबंशपुर, आजमगढ़।

विषय :– जनपद बलिया में बलिया–गाजीपुर से बिहार बार्डर तक (मांझीघाट) तक बनने वाले 04 लेन ग्रीन फील्ड के निर्माण में प्रभावित 0.49 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या– एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 148569 / 2021 ।

सन्दर्भ :– 1– उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 की संख्या– पी–162 / 81–2–2023–800(159) / 2023 दिनांक 20.06.2023 ।
2– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक– 4107 / 11–सी–FP/UP/Road/148569/2021 दिनांक 03.07.2023 ।
3– इस कार्यालय का पत्रांक– 32 / 14–1 दिनांक 04.07.2023 ।

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संज्ञान ग्रहण करे। जनपद बलिया में बलिया–गाजीपुर से बिहार बार्डर तक (मांझीघाट) तक बनने वाले 04 लेन ग्रीन फील्ड के निर्माण में प्रभावित 0.49 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 04 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या– एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 148569 / 2021 में उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 की संख्या– पी–162 / 81–2–2023–800 (159) / 2023 दिनांक 20.06.2023 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या–30 में वर्णित है कि "परियोजना में बाधक 04 वृक्षों का पातन किया जाना प्रस्तावित है अतएवं प्रस्तावक विभाग को बाधक वृक्षों का 10 गुना अर्थात 40 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष का रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी। अतः उक्त हेतु पुनः मऊ वन प्रभाग से ही 04 वृक्षों के बदले 10 गुना रोपण हेतु धनराशि का डिमाण्ड बनाकर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। तद्क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 240 / 14–1 दिनांक 14.08.2023 द्वारा 40 वृक्षों के रोपण की धनराशि का प्राक्कलन तैयारकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। अतः निम्नानुसार धनराशि कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में धनराशि जमाकर उसकी चालान / रसीद अनुपालन आख्या के साथ संलग्न कर अनुपालन आख्या समय से उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि ससमय अनुपालन आख्या शासन को प्रेषित किया जा सके।

क्र0 सं0	मद	धनराशि
1	2	3
1–	एन0पी0वी0	469312.20
2–	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 1 हे0	309356.00
3–	संरक्षित वन क्षेत्र में प्रभावित 04 वृक्षों के 10 गुने रोपण की धनराशि	38260.00

(वी0के0आनन्द)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग, बलिया

Docu. Greenfield Expressway D.M.File

पृ0सं0 /दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र, उ0प्र0, गोरखपुर।

3– वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।

4– जिलाधिकारी, बलिया।

(वी0के0आनन्द)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा0प्रभाग, बलिया